न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– **अशोक कुमार असीजा** आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 01 / 2021

अनवानः–

1. विनोद कुमार पुत्र रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी चक 4 आरटीपी रतनपुरा।
2. रूपसिंह पुत्र पहाड़ासिंह जाति जटसिख निवासी निवासी चक 4 आरटीपी रतनपुरा।
3. रामूराम पुत्र नानूराम जाति जटसिख निवासी चक 4 आरटीपी रतनपुरा।
4. बनवारी पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी चक 4 आरटीपी रतनपुरा।
5. घुट्टीराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 4 आरटीपी रतनपुरा।
6. गुरमेलपुरी पुत्र सुखदेव पुरी जाति साध निवासी चक 4 आरटीपी रतनपुरा।

प्रार्थीयान

बनाम

1. ग्राम पंचायत रतनपुरा तह0 संगरिया सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा।
2. व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सहकारी समिति संगरिया।

अप्रार्थीगण।

निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्ध आदेश दिनांक 13.06.1990 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत रतनपुरा ने अप्रार्थी सं0 02 को भूखण्ड आवंटित किया गया, को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थितः–

1 श्री रमेश दर्गन अभिभाषक प्रार्थीयान।

2 श्री प्रदुमनसिंह परमार अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1, 2

–ःनिर्णयः–

दिनांक 27.7.2021।

निगरानीकर्ता (प्रार्थीयान) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं प्रार्थीगण गांव रतनपुरा के पुराने वाशिंदे है तथा गांव के विकास कार्यो को कराने में रूचि रखते है। ग्राम रतनपुरा की आबादी चक 4 आरटीपी में बसी हुई है। ग्राम पंचायत रतनपुरा तह0 संगरिया द्वारा अप्रार्थी सं0 02 के पक्ष में जारी पटटा दिनांक 13.06.1990 इन आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है कि अप्रार्थी सं0 02 जो कि क्रय विक्रय सहकारी संस्था है जो व्यवसायिक श्रेणी में आती है, इसलिए व्यवसायिक श्रेणी की संस्था को आवासीय क्षेत्र में भूखण्ड का आवंटन नहीं किया जा सकता। जिस स्थान का पटटा जारी किया गया है वह आवासीय श्रेणी में आता है। अप्रार्थी सं. 02 क्रय विक्रय सहकारी संस्था का कार्यालय व व्यापार स्थल संगरिया है, जबकि भूखण्ड का आवंटन चक 45 आरटीपी (रतनपुरा) में किया है, जिसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा पटटे से संबंधित पंचायत नियमों की पालना नहीं की है। भूखण्ड आवंटन के लिए नक्शा मौका तैयार नहीं किया गया है और ना ही पंचो की कमेटी बनाई गई। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा कोई सार्वजनिक नोटिस जारी कर भूखण्ड के आवंटन हेतु आपत्तियां नहीं की। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा मात्र 10,000 रूपये में आवंटन किया गया है जिसका कोई आधार नहीं रखा गया है। जबकि कथित स्थल की कीमत कहीं बहुत ज्यादा है। अप्रार्थी सं0 02 को किए गए आवंटन की पुष्टि सक्षम अधिकारी से नहीं करवाई गई है। अप्रार्थी सं0 02 को किये गये आवंटन को 30 वर्ष व्यतीत हो चुके है, परन्तु आज तक इसमें कोई निर्माण नहीं किया गया है। जबकि निर्धारित अवधि में निर्माण न करने पर भूखण्ड का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जाता है। पटटे आवंटन का ज्ञान दिनांक 25.12.2020 को हुआ जब किसी सार्वजनिक हित के कार्य तथा गांव के विकास पर चर्चा के लिए इकटठे हुए थे। ज्ञान होने पर प्रार्थीगण ने पटटा की नकल लेकर बिना देरी के निगरानी प्रस्तुत की है, जो ज्ञान के आधार पर अंदर मियाद है। अप्रार्थी सं0 02 को उक्त स्थल पर

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

निर्माण कार्य करने से रोके जाने बाबत स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 13.06.1990 निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण मे निगरानीकर्ता (प्रार्थीयान) को सुना जाकर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति का एक पक्षीय स्थगन दिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीयान की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 1, 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा जवाब स्थगन पेश किया गया। इस न्यायालय के आदेशिका दिनांक 22.06.2021 से इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिया गया एकपक्षीय स्थगन दिनांक 19.01.2021 खारिज किया गया। उसके बाद प्रार्थीयान द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.2021, 20.07.2021 व 22.07.2021 पेश किये, जिनका जवाब अप्रार्थीयान से प्राप्त होने पर सुना गया। जो स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये गये।

बहस मूल निगरानी प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। अभिभाषक प्राथीयान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए लिखित बहस द्वारा कथन किया कि ग्राम पचायत द्वारा जारी किए गए पट्टा दिनांक 13.6.90 से स्पष्ट रूप से अंकन किया कि प्रश्नगत भूखण्ड निलामी द्वारा विक्रय किया गया है। नियमानुसार नीलामी में कोई संस्था भाग नहीं ले सकती। राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961 नियम 255 से 265 आबादी भूमि के विक्रय हेतु प्रकिया स्पष्ट है। इस मामले में यह प्रकिया नहीं अपनाई गई है। मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा एक अपील का निर्णय पारित करते हुए अभिनिर्धारित किया कि राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम 1961 नियम 256 व 260 में पंचायत द्वारा भूमि विक्रय कर पट्टा जारी किया, अपर जिला कलक्टर द्वारा पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दिया पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा गया था। भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई। राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 नियम 272 जो पुनर्रीक्षण के बारे में है अधिनियम अथवा नियमों में परीसीमा में प्रदत्त नहीं है। यह शक्तियां किसी भी समय प्रयोग की जा सकती है। जिसके लिए डीएनजे 2000 राज0 पृष्ठ सं0 438, डीएनजे राज0 पृष्ठ सं0 413, डीएनजे 1995 राज0 पृष्ठ सं0 458 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियम 257 की पालना नहीं की गई, रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई और ना ही नक्शा तैयार किया गया। रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं गई और ना ही नक्शा तैयार किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 258 के तहत 3 पंचो द्वारा मौका देखने का संकल्प नहीं लिया। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 258 के तहत 3 पंचों द्वारा मौका देखने का संकल्प नहीं लिया। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 260 के तहत आपतियों को आमंत्रित करने का 1 माह का कोई नोटिस जारी नहीं किया, ऐसे नोटिस को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष नोटिस चस्पा नहीं कराए गए। ग्राम पचायत के समक्ष इस भूखण्ड बाबत कोई आपतियां आई या नहीं कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि की निलामी के संबंध में कोई संकल्प लिया हो और नियम 262 की पालना की हो। ग्राम पचांयत द्वारा नियम 133 के अनुसार भूखण्ड की निलामी बाबत डोंडी पिटवाकर मुनवादी नहीं कराई गई। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 264 के तहत निलामी की प्रकिया पूर्ण नहीं की। ग्राम पंचायत को नियम 265 के तहत जहां निलामी राशि 10000 की रही, इसकी पुष्टि श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ से कराई जानी थी। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा दिनांक 13.06.1990 निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थी स0 01, 02 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किये कि निगरानीकर्ता गुरमेलपुरी पुत्र सुखदेव पुरी जाति साध द्वारा सिविल न्यायाधीश संगरिया में दावा पेश किया जो दिनांक 12.12.2008 को खारिज हुआ। उक्त आदेश के विरूद्ध अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) संगरिया में अपील 21.05.2011 को खारिज हुई। प्रार्थी सं0 06 उक्त सिविल कोर्ट में पक्षकार था। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में निगरानीकर्ता का कथन है कि उक्त पट्टे के बारे में ज्ञान 25.11.2020 को हुआ जबकि वह सिविल न्यायालय में पक्षकार था। ग्राम पंचायत के आबादी भूमि का विक्रय विलेख से रिकार्ड के

संबंध में स्पष्ट साक्ष्य है। रसीद का विवरण पट्टे में भी है। सन 1980 में जब क्रय विक्रय सहकारी समिति संगरिया ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटित की थी उस समय वहां आबादी नहीं थी। क्रय विक्रय सहकारी समिति संगरिया किसानों के लिए ही कार्य करती है। क्रय विक्रय सहकारी समिति संगरिया द्वारा पट्टा आवंटन हेतु पूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई थी इसलिए पट्टा बही में पट्टा उपलब्ध है। निगरानीकर्ता (प्रार्थीगण) उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। निगरानीकर्ता (प्रार्थीगण) की निगरानी मियाद अधिनियम धारा 5 के आधार पर खारिज होती है तथा तथ्यों के आधार पर भी खारिज होती है। क्रय विक्रय सहकारी समिति संगरिया को बजट घोषणा राज्य सरकार द्वारा 500 एम0टी0 का गोदाम स्वीकृत किया है जिसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, जिस पर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जो कि जन भावना हेतु कार्य किया जा रहा है। जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा बिना अधिकारिता के केवल मात्र राजनैतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर रोकने की गर्ज से तथा बजट लैप्स करवाना चाहते हैं। अतः निगरानीकर्ता (प्रार्थीयान)द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत के आबादी भूमि का विक्रय विलेख से रिकार्ड के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य है। रसीद का विवरण पट्टे में भी है। ग्राम पंचायत से उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ग्राम पंचायत रतनपुरा द्वारा पूर्ण प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीयान का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण तथा सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.7.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार असीजा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़